न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या -05/2024 निर्णय दिनांक -20.11.2024

(प्रा.पत्र अ धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के अन्तर्गत)

01- रामप्यारी पुत्री पन्नाराम पत्नि श्री पृथ्वीराज जाति बावरी निवासी 3 केएसडी (सुखचैनपुरा) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)
.....प्रार्थीया.....

बनाम-

01- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला अनूपगढ़ (राज.)

उपस्थिति- 01. श्री शेराराम ओड, वकील प्रार्थीया
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि -
प्रार्थीया के नाम से चक 3 पी.टी.डी. का खाता संख्या 64 प.नं. 233/365 मु. नं. 2 का किला नं. 1/2, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 का 6.199 है. कमाण्ड व प.नं. 234/465 मु.नं. 1 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. कुल 12.524 है. कमाण्ड खातेदारी रकबा में मुश्तरका खाता में 1/8 हिस्सा पड़ता है। जो रकबा प्रार्थीया के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त में चला आ रहा है। उक्त रकबा का इन्तकाल दर्ज करते समय सहवन से एवं लिपिकीय त्रुटि से उक्त भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम रामप्यारी के स्थान पर चावली अंकित हो गया। अब प्रार्थीया को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज हो जाने पता चलने पर प्रार्थीया ने सम्बन्धित हल्का पटवारी व तहसीलदार महोदय से सम्पर्क किया और अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त भूमि की जमाबन्दी में उसका नाम सही दर्ज करने का निवेदन किया तो उनके द्वारा प्रार्थीया का नाम दुरूस्त करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसलिए प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया है। उक्त रकबा के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम चावली दर्ज है जबकि प्रार्थीया के आधार कार्ड व पहचान के अन्य सभी दस्तावेजो में प्रार्थीया का नाम रामप्यारी दर्ज है। प्रार्थीया का सही नाम रामप्यारी ही है। जबकि चक 3 पी.टी.डी. का जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थीया का नाम रामप्यारी के स्थान पर चावली दर्ज हो गया है। इसलिए प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चावली के स्थान पर रामप्यारी की दुरूस्ती चाहती है। इसे दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के पेश कर निवेदन है कि मुझ प्रार्थीया के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 05/2024 अनवान रामप्यारी
बनाम सरकार अ0था0 136 एलआरएक्ट निर्णय
दिनांक 20.11.2024

दर्ज कृषि भूमि चक 3 पी.टी.डी. की जमावन्दी, राजस्व रिकार्ड में सहवन से चावली दर्ज हो गया है जो सहवन से व लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत इन्द्राज हो गया है। जिसे जरिये दुरूस्ती आदेश सही कर रामप्यारी किया जाने का निवेदन किय गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा अपने कार्यालय के पंत्राक 2667 दिनांक 12.09.2024 द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रेपित की गई जो संलग्न है। संदर्भित रकबा के सहखातेदारान द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार नाम दुरूस्त करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो संलग्न मिसल है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए चक 3 पी.टी.डी. का खाता संख्या 64 प.नं. 233/365 मु.नं. 2 का किला नं. 1/2, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 का 6.199 है. कमाण्ड व प.नं. 234/465 मु.नं. 1 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 है. कुल 12.524 है. कमाण्ड खातेदारी रकबा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम चावली देवी के स्थान पर रामप्यारी अकिंत करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 20.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner